भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3256

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

निम्न बोली के कारण कार्य की खराब गुणवत्ता

†3256. श्री सेल्वाराज वी.:

श्री सुब्बारायण के.:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़क ठेकेदारों द्वारा अनुमानित परियोजना लागत से 48 प्रतिशत तक निम्न बोली लगाने का हालिया रुझान देखा गया है, जो मुख्य रूप से आक्रामक बोली के कारण है और जिसका कार्य की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है;

(ख) क्या हाल ही में विशेषकर केरल में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों और फ्लाईओवरों के ढहने की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मामलों में ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार निर्धारित खरीद (प्रोक्युर्मेंट) दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना कार्यों के कार्यान्वयन के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करती है। कुछ मामलों में, निविदा में प्रस्तुत अनुमानित परियोजना लागत से काफी कम दरों पर बोलियां प्राप्त हुई हैं, जिसका मुख्य कारण प्रतिस्पर्धी बाजार परिस्थितियां और बोलीदाताओं द्वारा अपनाई गई आक्रामक बोली रणनीतियां हैं।

सरकार के हितों की रक्षा करने और गुणवत्ता मानकों से किसी भी प्रकार की समझौता न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए निविदा दस्तावेजों में उपयुक्त प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनमें अतिरिक्त प्रदर्शन सुरक्षा की आवश्यकता भी शामिल है। इसके अलावा, सभी कार्य निर्धारित प्रासंगिक संहिताओं/नियमावली के अनुसार ही किए जाते हैं। स्वतंत्र इंजीनियर/प्राधिकरण इंजीनियर और नियमित क्षेत्र निरीक्षण निर्माण के प्रत्येक चरण में गुणवत्ता मानकों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। कुछ परियोजनाओं में आवश्यकता पड़ने पर स्वतंत्र गुणवत्ता लेखापरीक्षा भी की जाती है।

तदनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं कि प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

(ख) और (ग) 1.01.2025 से शिकायतों/विफलताओं का विवरण संलग्न है।

अनुलग्नक

'निम्न बोली के कारण कार्य की खराब गुणवत्ता' के संबंध में श्री सेल्वाराज वी और श्री सुब्बारायण के. द्वारा दिनांक 12.03.2026 को पूछे गए लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3256 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	एनएच संख्या.	राज्य	परियोजना का नाम	शिकायत का प्रकार	विफलता के कारण	ठेकेदार/रियायतग्राही के खिलाफ की गई कार्रवाई
1	754ए	गुजरात	गुजरात में एनएच-754ए के संचोर-संतालपुर पैकेज-4 पर स्थित है।	निर्माण के दौरान परियोजना राजमार्ग पर कई स्थानों पर गड्ढे, दरारें और सतह का विरूपण देखा गया।	जून 2025 में हुई बारिश के बाद हाल ही में दरारें, गड्ढे और सतह पर विकृति/क्षति देखी गई, निर्माण अवधि के दौरान कुछ स्थानों पर गंभीर गड्ढे बन गए थे।	ठेकेदार पर 2.8 करोड़ रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया जाए और उसे एक वर्ष तक या सफलतापूर्वक सुधार होने तक, जो भी बाद में हो, प्रतिबंधित करने की सिफारिश की जाए। ठेकेदार ने मरम्मत/पुनर्स्थापन कार्य शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक सुरक्षा के खतरे को देखते हुए, ठेकेदार को एक महीने की अवधि के लिए या आईआरसी/सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मानकों और संविदात्मक प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन तक किसी भी चल रहे/भविष्य के निविदाओं में भाग लेने से निलंबित कर दिया गया है।
2	एनएच-6 (पुराना एनएच-44)	मेघालय	"मेघालय राज्य में एनएच-44 के जोवाई-मेघालय-असम सीमा खंड में किमी 69.200 से किमी 173.200 (डिजाइन खंड 171.455) तक दो लेन वाली पेव्ड शोल्डर वाली सड़क के निर्माण कार्य के किमी 120.200 से 171.455 तक सुदृढ़ीकरण/सुधार सहित नियमित रखरखाव कार्य।"	एनएच-6 पर निकृष्ट काम के संबंध में वीआईपी संदर्भ, विशेष रूप से कुलंग गांव के पास वाले हिस्से के संबंध में। माननीय सांसद ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि तारकोल/फुटपाथ को हाथ से ही हटाया जा सकता है, जो ठेकेदार द्वारा घोर लापरवाही, खराब निष्पादन और निकृष्ट सामग्री के उपयोग को दर्शाता है।	खराब गुणवत्ता वाली ऊपरी परत के कारण लगभग 10-15 मीटर की लंबाई में बिटुमिनस कंक्रीट का खिसकना पाया गया।	ठेकेदार द्वारा सुधार कार्य संपन्न कर दिया गया है। हालांकि, एनएचएआई की छवि खराब करने के लिए ठेकेदार पर 20,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
3	36	तमिलनाडु (मदुरै)	एनएच-36 के 65.960 किमी से 116.440 किमी तक सेथियाथोपे-चोलापुरम खंड का 4-लेन	मिट्टी को रोकने वाली संरचनाएं	अपर्याप्त भू-तकनीकी जांच	1. रियायतकर्ता मैसर्स पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर 14.01.2026 को 18.05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

			का निर्माण।			2. इसके अलावा, आईई, मैसर्स थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 5.00 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
4	66	केरल	चेंगला-नीलेश्वरम	अन्य	शॉटक्रेट की मोटाई अपर्याप्त; कीलों के बीच की दूरी अधिक; लंगर की लंबाई अपर्याप्त; दीवार के पीछे जल निकासी अपर्याप्त।	एनएचएआई ने रियायतग्राही और उसके प्रवर्तक मैसर्स मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को भविष्य की बोलियों में भाग लेने से 1 महीने की अवधि के लिए निलंबित कर दिया है, या तब तक जब तक रियायतग्राही उचित भूभौतिकीय/भूतकनीकी अध्ययनों के साथ ढलान संरक्षण कार्यों के डिजाइनों में सुधार सहित उपचारात्मक उपाय प्रस्तावित नहीं करता और यह प्रदर्शित नहीं करता कि परियोजना क्षेत्र में अन्य ढलान संरक्षण स्थलों पर ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी, जो भी बाद में हो। इसके अलावा, एनएचएआई और रियायतग्राही के बीच 19.02.2026 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। एसए-2 के पैरा 3.1.2 (बी) के अनुसार, रियायतग्राही ढलान संरक्षण कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और दोषपूर्ण कार्यों का निर्माण और सुधार अपने जोखिम और लागत पर करेगा। रियायतग्राही/प्रवर्तक ने आज तक एमओआरटीएच के प्राधिकरण/कार्यान्वयन एजेंसियों की बोलियों में भाग लेने से स्वयं को प्रतिबंधित कर लिया है। रियायतग्राही ने 06.10.2021 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और 16.11.2021 को एनएचएआई के नीति परिपत्र के अनुसार विफल कार्य के वर्तमान मूल्य का 5% भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। रियायतग्राही ने विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों का पालन करने और सुधार कार्यों

						को अपने खर्च पर पूरा करने पर भी सहमति जताई।
5	66	केरल	नीलेश्वरम - थालीपरम्भा	अन्य	ढलान विफलता	रियायतग्राही को 25.07.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। एनएचएआई और रियायतग्राही के बीच 19.02.2026 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया। समझौता ज्ञापन-2 के पैरा 3.1.2 (ख) के अनुसार, रियायतग्राही ढलान संरक्षण कार्यों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और दोषपूर्ण कार्यों का निर्माण और सुधार अपने जोखिम और लागत पर करेगा। रियायतग्राही/प्रवर्तक ने अब तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्राधिकरण/कार्यान्वयन एजेंसियों की बोलियों में भाग लेने से स्वयं को प्रतिबंधित रखा है। रियायतग्राही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिनांक 06.10.2021 और एनएचएआई के दिनांक 16.11.2021 के नीति परिपत्र के अनुसार विफल कार्य के वर्तमान मूल्य का 5% भुगतान करने पर सहमत हुआ है। रियायतग्राही विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों का पालन करने और सुधार कार्यों को अपने खर्च पर पूरा करने पर भी सहमत हुआ है।
6	66	केरल	अझियूर-वेंगलम	अन्य	निकृष्ट कार्य निष्पादन और खराब कारीगरी	रियायतग्राही को दिनांक 31.07.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त, अन्य चूकों के लिए रियायतग्राही को दिनांक 07.01.2026 को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस के जवाब में, रियायतग्राही ने दिनांक 21.01.2026 को उत्तर प्रस्तुत किया। रियायतग्राही को दिनांक 10.02.2026 को व्यक्तिगत

						सुनवाई का अवसर दिया गया। अंतिम आदेश पारित किया जाना बाकी है।
7	66	केरल	रामनट्टुकरा-वलंचेरी	मिट्टी को रोकने वाली संरचनाएं	गीली मिट्टी के लिए आरई दीवार का डिजाइन अपर्याप्त है; खराब संघनन; फिल्टर मीडिया का अभाव।	मैसर्स केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को 1 वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित करने और असफल कार्य के वर्तमान मूल्य के 5% या संपूर्ण कार्य के अनुबंध मूल्य के 0.5% (जो भी अधिक हो) के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है। रियायतग्राही और ठेकेदार ने इस कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। यह पुल ठेकेदार के स्वयं के 80 करोड़ रुपये के खर्च पर बनाया जा रहा है।
8	66	केरल	अरूर से थुरवूर थेक्कू	फ्लाईओवर	जैक की खराबी	ठेकेदार और सहयोगी कंपनी के प्रमुख कर्मियों को परियोजना कार्य से हटा दिया गया है और उन पर 3 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। विशेषज्ञ समिति का अंतिम निर्णय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
9	66	केरल	थुरवूर से परावूर तक	पुलों	क्रॉस गर्डर की ढलाई में देरी और निष्पादन में चूक।	एनएचएआई ने निर्माण कार्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 15.35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और प्राधिकरण एवं जनता के हित में कार्य की सुरक्षित निर्माण सुनिश्चित करने हेतु निवारक कार्रवाई की है। ठेकेदार के दो अधिकारियों और प्राधिकरण अभियंता के दो अधिकारियों को कार्यस्थल से बर्खास्त कर दिया गया है।
10	966ए	केरल	कलामस्सेरी से वल्लारपदम तक वल्लारपदम में आईसीटीटी के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संपर्कता	अन्य	निकृष्ट कार्य निष्पादन और खराब कारीगरी	ठेकेदार पर 30.74 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
11	66	केरल	कोडुगल्लूर से एडप्पपल्ली तक	अन्य	निकृष्ट कार्य निष्पादन और खराब कारीगरी	रियायतग्राही को एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
12	66	केरल	कोल्लम से	पुलों	स्टेजिंग संबंधी	रियायतग्राही पर 9.55 लाख रुपये

			कदंबट्टुकोनम तक		समस्या और अनुचित पर्यवेक्षण	का जुर्माना लगाया गया है और रियायतग्राही ने अपने जिम्मेदार इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।
13	66			मिट्टी को रोकने वाली संरचनाएं	गहरी जड़ वाली अपरूपण विफलता (घूर्णीय स्लाइड); भार वहन क्षमता विफलता।	रियायतग्राही को 1 महीने के लिए या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक प्रतिबंधित कर दिया गया है।
14	45	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत मानेगांव से एनएच-45 तक 4-लेन का निर्माण, डिजाइन खंड 19.050 से डिजाइन खंड 39.180 तक (जबलपुर रिंग रोड, पैकेज-2) ईपीसी मोड।	पुलों	स्टेजिंग संबंधी समस्या और अनुचित पर्यवेक्षण	ईपीसी ठेकेदार मैसर्स एनकेसी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

*****